न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 027/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. संतोष पत्नी सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. तेजपाल पुत्र सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. मंजू पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. संजु पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. माया पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. पुष्पा पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. सुनिता पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. अनिता पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. लीला पुत्री सोहनलाल, जाति माली, निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुझुनू।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 23.05.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स [illegible] पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार [illegible] कि ग्राम मौजा अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबंदी सम्वत् 2074-[illegible] के खाता संख्या 209 के अनुसार ग्राम अशोक नगर में स्थित भूमि ख0न0 382/847 रकबा 0.55 है0 किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 410 रकबा 0.13 है, किस्म गै0मु0 आबादी की [illegible] खातेदारी सोहनलाल पुत्र [illegible] जाति माली निवासी अशोक नगर, तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं एवं पूर्व के रिकॉर्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है —

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

क्र0 सं0	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरुसी कृषक का नाम व विवरण
1.	2012–2015	487	3 बीघा 18 बिस्वा	गै0मु0 आबादी	आबादी
2.	2016–2019	487	1 बीघा 18 बिस्वा	गै0मु0 आबादी	सोनिया
3.	2020–2023	487	1 बीघा 18 बिस्वा	गै0मु0 आबादी	सोनिया
4.	2024–2027	487	1 बीघा 18 बिस्वा	गै0मु0 आबादी	सोनिया
6.	2028–2031	487/2	1 बीघा 18 बिस्वा	गै0मु0 आबादी	सोनिया
7.	2032–2035	487/2	1 बीघा 18 बिस्वा	गै0मु0 आबादी	सोहनलाल गैर खातेदार
8.	2060–2063	382/847 410	0.35 है0 0.13 है0	गै0मु0 आबादी	सोहनलाल पुत्र रामू, जाति माली, अशोकनगर गैर खातेदार
9.	2062–2065	382/847 410	0.35 है0 0.13 है0	गै0मु0 आबादी	सोहनलाल पुत्र रामू, जाति माली, अशोकनगर गैर खातेदार
10.	2070–2073	382/847 410	0.35 है0 0.13 है0	गै0मु0 आबादी	सोहनलाल पुत्र रामू, जाति माली, अशोकनगर गैर खातेदार
11.	2074–2077	382/847 410	0.35 है0 0.13 है0	गै0मु0 आबादी	सोहनलाल पुत्र रामू, जाति माली, अशोकनगर गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तहफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 20[illegible] अनुसार ग्राम अशोक नगर में स्थित भूमि ख0न0 382/847 रकबा 0.35 है0 किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 410 रकबा 0.13है0 किस्म गै0मु0 आबादी की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:51 IST
Reason: SelfAttested

2. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम अशोकनगर की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 382/847 रकबा 0.35 है0, किस्म

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

गै0मु0 आबादी, ख0न0 410 रकबा 0.13 है0 किस्म गै0मु0 आबादी के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 487 रकबा 3 बीधा 18 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

4. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम अशोकनगर की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 382/847 रकबा 0.35 है0, किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 410 रकबा 0.13 है0 किस्म गै0मु0 आबादी के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 487 रकबा 3 बीधा 18 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। उक्त वर्णित भूमि किस्म गै0मु0 आबादी होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 आबादी रही है एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः ग्राम अशोकनगर स्थित अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 382/847 रकबा 0.35 है0, किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 410 रकबा 0.13 है0 किस्म गै0मु0 आबादी की गैरखातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि ख0न0 382/847 रकबा 0.35 है0, किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 410 रकबा 0.13 है0 किस्म गै0मु0 आबादी की गैरखातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.01 13:22:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं